



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092022-238888
CG-DL-E-16092022-238888

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4170]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 16, 2022/भाद्र 25, 1944

No. 4170]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 16, 2022/BHADRA 25, 1944

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2022

का.आ. 4354(अ).—गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 8 सह पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की दिनांक 5 फरवरी, 1997 की अधिसूचना सं. का. आ. 85(अ) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है नामतः

2. उक्त अधिसूचना में "धारा 7 की उप-धारा (2) के खंड (ड) के अधीन नियुक्त" शीर्षक के अधीन क्रम संख्या 8, 9, 10, 12 और 14 तथा उनसे सम्बद्ध प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

8.	डॉ. शशि ठाकुर, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य निदेशालय (सेवानिवृत्त), भोपाल	सदस्य
9.	डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा, चेयरमैन और एमडी, प्रतीक्षा हॉस्पिटल्स	सदस्य
10.	डॉ. कैलाश चंद्र तमरिया, विभागाध्यक्ष, बाल रोग विभाग, वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल	सदस्य
12.	डॉ. नारायणन वी., सीएमओ और ट्रस्टी, स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन	सदस्य
14.	श्रीमती अमिता जैन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सेवा भारती।	सदस्य

उक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की तारीख से प्रारंभ होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगला आदेश होने – दोनों में से जो भी पहले हो, तक के लिए होगा।

3. उक्त अधिसूचना में "धारा 7 की उप-धारा (2) के खंड (च) के अधीन नियुक्त" शीर्षक के अधीन क्रम संख्या 18 तथा उनसे सम्बद्ध प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:

18.	सुश्री कविता पाटीदार, संसद सदस्य (राज्य सभा) 1464, आनंद नगर, डॉ अम्बेडकर नगर (महू), इंदौर (म.प्र.)	सदस्य
-----	---	-------

उक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की तारीख से प्रारंभ होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए या या वर्तमान राज्य सभा में उनके कार्यकाल की समाप्ति तक- दोनों में से जो भी पहले हो, तक के लिए होगा।

4. उक्त अधिसूचना में "धारा 7 की उप-धारा (2) के खंड (छ) के अधीन नियुक्त" शीर्षक के अधीनक्रम संख्या 19, 20, 21 और 22 तथा उनसे सम्बद्ध प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:

19	डॉ राकेश वैध, सहायक निदेशक (परिवार कल्याण), गुजरात सरकार	सदस्य
20	डॉ सपना गहलावत, उप निदेशक (एस.एस.) पीएनडीटी, हरियाणा सरकार	सदस्य
21	डॉ. निखरीली खिमियाओ, प्रधान निदेशक (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), नागालैंड सरकार	सदस्य
22	डॉ. बिजय कुमार पाणिग्रही, निदेशक (परिवार कल्याण), ओडिशा सरकार	सदस्य

उक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की तारीख से प्रारंभ होकर एक वर्ष की अवधि के लिए या अगला आदेश होने – दोनों में से जो भी पहले हो, तक के लिए होगा।

5. केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड (कार्य संपादन) विनियमन, 1999 के विनियम 5 के साथ पठित गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 11(1) के अनुसार सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), हरियाणा सरकार केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड में विशेष आमंत्रित व्यक्ति नहीं रहेंगे।

[फा. सं. वी.11011/2/2020-पीएनडीटी]

डॉ. पतिबंदला अशोक बाबू, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मुख्य अधिसूचना 5 फरवरी, 1997 के का.आ. 85 (अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और 28 फरवरी, 1998 के का.आ. 160 (अ) के तहत संशोधित की गई थी। इसमें आगे और संशोधन का.आ. 694 (अ) दिनांक 13 अगस्त, 1998; का.आ. 61(अ) दिनांक 14 जनवरी, 2000; का.आ. 114(अ) दिनांक 1 फरवरी 2000; का.आ. 349(अ) दिनांक 20 अप्रैल, 2001; का.आ. 931(अ) दिनांक 19 सितंबर, 2001, का.आ. 590(अ) दिनांक 31 मई, 2002, का.आ. 1191(अ) दिनांक 12 नवम्बर, 2002, का.आ. 703(अ) दिनांक 18 जून, 2003, का.आ. 1458(अ) दिनांक 23 दिसंबर, 2003, का.आ. 99(अ) दिनांक 20 जनवरी, 2004, का.आ. 367(अ) दिनांक 17 मार्च, 2004, का.आ. 937(अ) दिनांक 19 अगस्त, 2004 का.आ. 1008(अ) दिनांक 16 सितंबर, 2004, का.आ. 56(अ) 19 जनवरी, 2006, का.आ. 199(अ), दिनांक 10 फरवरी, 2006, का.आ. 200(अ) दिनांक 10 फरवरी, 2006 का.आ. 1854(अ) दिनांक 30 अक्टूबर, 2006, का.आ. 1506(अ) दिनांक 20 जून, 2008, का.आ. 130(अ), दिनांक 6 जनवरी, 2009, का.आ. 2143(अ) दिनांक 20 अगस्त, 2009, का.आ. 779(अ) दिनांक 28 अप्रैल, 2011, का.आ. 85(अ) दिनांक 11 जनवरी, 2012, का.आ. 1272(अ) दिनांक 25 मई, 2012, का.आ. 2613(अ) दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 और का.आ. 2825(अ) दिनांक 22 नवंबर, 2012, का.आ. 43(अ) दिनांक 31 दिसंबर, 2012, का.आ. 1351(अ) दिनांक 21 मई, 2013, का.आ. 306(अ) दिनांक 31 जनवरी, 2014, का.आ. 2520(अ) दिनांक 26 सितंबर, 2014, का.आ. 2587(अ) दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 तथा का.आ. 1459(अ) दिनांक 1 जून, 2015, का.आ. 2485(अ) दिनांक 4 सितंबर, 2015, का.आ. 3097(अ) दिनांक 09 नवंबर, 2015, का.आ. 4111(अ) दिनांक 22 दिसंबर, 2016, का.आ. 132(अ) दिनांक 10 जनवरी,

2018, का.आ. 275(अ) दिनांक 17 जनवरी, 2018, का.आ. 276(अ) दिनांक 17 जनवरी, 2018; का.आ. 1794(अ) दिनांक 02 मई, 2018; का.आ. 143(अ) दिनांक 09 जनवरी, 2019; का.आ. 1934(अ) दिनांक 10 जून 2019; का.आ. 2779(अ) दिनांक 2 अगस्त 2019; का.आ. 3558(अ) दिनांक 1 अक्टूबर 2019; का.आ. 3636(अ) दिनांक 10 अक्टूबर 2019 और का.आ. 4123(अ) दिनांक 17 नवंबर 2020 के तहत किया गया।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2022

S.O. 4354(E).—In exercise of the powers conferred by Section 7 read with Section 8 of the Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification No. S.O. 85 (E), dated 5th February, 1997, issued by Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:

2. In the said notification, under heading "appointed under clause (e) of sub-section (2) of Section 7", for serial numbers 8, 9, 10, 12 and 14 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely -

8.	Dr. Sashi Thakur, Joint Director, Directorate of Health (Retd.), Bhopal.	Member
9.	Dr. Pramod Kumar Sharma, Chairman and MD of Pratiksha Hospitals.	Member
10.	Dr. Kailash Chandra Tamaria, HoD, Paediatrics Deptt, VMMC and Safdarjung Hospital.	Member
12.	Dr. Narayanan V, CMO and Trustee, Swami Vivekananda Medical Mission.	Member
14.	Mrs. Amita Jain, National Vice President, Sewa Bharti.	Member

Term of office of the members from serial no. 8,9,10,12,14 shall be for a period of three years commencing from the date of this notification or till further orders, whichever is earlier.

3. In the said notification, under heading "appointed under clause (f) of sub-section (2) of Section 7", for serial numbers 18 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely—

18.	Ms. Kavita Patidar, Member of Parliament (Rajya Sabha) 1464, Anand Nagar, Near Govt. College, Dr. Ambedkar Nagar (Mhow), Indore (M.P.)	Member
-----	--	--------

Term of office of the members from serial No. 18 shall be for a period of three years commencing from the date of this notification or until the expiry of her term in the current Rajya Sabha, whichever is earlier.

4. In the said notification, under heading "appointed under clause (g) of sub-section (2) of Section 7", for serial numbers 19 to 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely—

19.	Dr. Rakesh Vaidh, Assistant Director (FW), Government of Gujarat.	Member
20.	Dr. Sapna Gahlawat, Deputy Director (S.S.) PNDDT, Haryana	Member
21.	Dr. Neikhrilie Khimiao, Principal Director DHFW, Government of Nagaland.	Member
22.	Dr. Bijaya Kumar Panigrahy, Director, Family Welfare, Government of Odisha.	Member

Term of office of the members from serial Nos. 19 to 22 shall be for a period of one year commencing from the date of this notification or till further orders, whichever is earlier.

5. In terms of Section 11(1) of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 read with regulation 5 of the Central Supervisory Board (Transaction of Business) Regulation, 1999, Secretary (Health & Family Welfare), Government of Haryana shall cease to be the Special Invitee in the Central Supervisory Board.

[F. No. V.11011/2/2020-PNDDT]

Dr. PATIBANDLA ASHOK BABU, Jt. Secy.

Note : The Principal Notification was published in the Gazette of India, *vide* No. S.O.85 (E), dated 5th February, 1997 and amended *vide* No. S.O.160 (E) dated 28th February, 1998 and further amended *vide* Nos. S.O. 694(E) dated 13th August, 1998, S.O. 61(E) dated 14th January, 2000; S.O.114(E) dated 1st February, 2000; S.O.349(E) dated 20th April, 2001; S.O.931(E) dated 19th September, 2001; S.O.590(E) dated 31st May, 2002; S.O.1191 (E) dated 12th November, 2002; S.O.703(E) dated 18th June, 2003; S.O.1458(E) dated 23rd December, 2003; S.O.99(E) dated 20th January, 2004; S.O.367(E) dated 17th March, 2004; S.O.937(E) dated 19th August, 2004; S.O.1008(E) dated 16th September, 2004; S.O.56(E) dated 19th January, 2006; S.O.199(E) dated 10th February, 2006; S.O.200(E) dated 10th February, 2006; S.O. 1854(E) dated 30th October, 2006; S.O.1506(E) dated 20th June, 2008; S.O.130(E) dated 6th January, 2009; S.O.2143(E) dated 20th August, 2009; S.O.779(E) dated 28th April, 2011; S.O.85(E) dated 11th January, 2012; S.O.1272(E) dated 25th May, 2012; S.O. 2613(E) dated 25th October, 2012; S.O.2825(E) dated 22nd November, 2012; S.O.43(E) dated 31st December, 2012 ; S.O. 1351(E) dated 21st May, 2013; S.O. 306(E) dated 31st January, 2014; S.O. 2520(E) dated 26th September, 2014; S.O. 2587(E) dated 2nd October, 2014; S.O. 1459(E) dated 1st June, 2015; S.O. 2458 (E) dated 4th September, 2015; S.O. 3097(E) dated 9th November, 2015; S.O. 4111(E) dated 22nd December, 2016; S.O. 132(E) dated 10th January, 2018; S.O. 275(E) dated 17th January, 2018; S.O. 276(E) dated 17th January, 2018; S.O. 1794(E) dated 2nd May 2018; S.O. 143(E) dated 9th January 2019; S.O. 1934(E) dated 10th June 2019; and S.O. 2779(E) dated 2nd August 2019; S.O. 3558(E) dated 1st October 2019; S.O. 3636 (E) dated 10th October 2019 and S.O.4123(E) dated 17th November 2020.